संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
एन.आर.एच.एम. कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आर.सी.एच./पोषण/2014/ 8288 भोपाल, दिनांक : 04.10.14

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय :– पोषण पुनर्वास केन्द्रो पर टी.व्ही. एवं डी.व्ही.डी. की अनिवार्य उपलब्धता के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि, कुपोषण में सुधार लाने में व्यवहार परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवहार परिवार्तन हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों के परिजनों को विडियो के माध्यम से – साफ सफाई, परिवार नियोजन का महत्व, दस्त नियंत्रण, शीघ्र स्तनपान का महत्व, ममता अभियान अंतर्गत निर्मित 16 विडियो एवं मीना पैकेज आदि पर ज्ञानवर्धन करने हेतु प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र पर टी.व्ही. एवं डी.व्ही.डी. प्लेयर की उपलब्धता करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संलग्न प्रपत्र का अवलोकन हो जिसमें पोषण पुनर्वास केन्द्रों में टी.व्ही. एवं डी.व्ही.डी. प्लेयर की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता का विवरण है। निर्देशित किया जाता है कि–

- प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र में एक टी.व्ही./एल.सी.डी., न्यूनतम 21" साईज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- इसी प्रकार प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र पर एक डी.व्ही.डी. प्लेयर/यू.एस.व्ही. प्लेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- राज्य स्तर से प्रेषित किये गये व्यवहार परिवर्तन संबधी विडियो का सतत प्रसारण किया जाए।
- उपरोक्त के क्रय एवं सुधार हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति पोषण पुनर्वास कन्द्रो को वार्षिक रखरखाव हेतु प्रदायित राशि से की जाए।

ओ.आई.सी./एस.पी.एम.यू. भ्रमण के दौरान उपरोक्त की उपलब्धता एवं व्यवहार परिवर्तन संबधी विडियो के प्रसारण की मॉनीटरिंग करेंगे। संसाधन की उपलब्धता एवं प्रसारण न होने की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक के विरुद्व अनुशाशनत्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रपत्र–1

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक, एन.एच.एम
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आर.सी.एच./पोषण/2014/ 8289 भोपाल, दिनांक : 04.10.14

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचालक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
3. अपर्णा मुंशी, पोषण अधिकारी, यूनिसेफ, भोपाल।
4. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला जिला पोषण सलाहकारों की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मिशन संचालक
एन.एच.एम, मध्यप्रदेश